

05.05-25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष की बयान पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वकील का वादपत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरीक़ा होकर दाखिल यथा है। निर्णय लिखा जाकर जुरे न्यायालय में सुनाया गया।



(किरण पाल)
RAS.